

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर

--: आदेश :-

कं./क्यू/सी.जे.एम./2023

जबलपुर, दिनांक- 27.09.2023

माह अक्टूबर 2023 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य **10.30 बजे से 11.00** के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	03.10.23	12	श्री फरहान मसूद कुरैशी	16.10.23
2	श्रीमती विधि डागलिया	04.10.23	13	श्री आनंद बागरी	17.10.23
3	श्रीमती रुचि गोलस सगर	05.10.23	14	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	18.10.23
4	सुश्री संजना मालवीय	06.10.23	15	श्रीमती किरण मलिक	19.10.23
5	सुश्री मृणालिनी सिंह	07.10.23	16	श्री भूपेन्द्र सिंह	20.10.23
6	श्री वेद प्रकाश सगर	09.10.23	17	श्रीमती प्राची चौधरी	25.10.23
7	सुश्री सपना कनौडिया	10.10.23	18	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	26.10.23
8	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	11.10.23	19	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	27.10.23
9	श्री कुंवर युवराज सिंह	12.10.23	20	श्री अरविंद सिंह टेकाम	28.10.23
10	श्री मनमोहन सिंह कौरव	13.10.23	21	श्रीमती श्वेता तिवारी	30.10.23
11	श्री किशन देव सिंह पटेल	14.10.23	22	श्रीमती सरिता जतारिया	31.10.23

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- 3- उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **श्रीमती प्राची चौधरी जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश श्री श्रीमती प्राची चौधरी जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगें।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- कम्प्यूटर कक्ष की ओर सूचनार्थ।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर